

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक : एफ2(6356)/सू.प्रौ./संस्था/14/1/28086/2015

दिनांक 20/01/2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों, जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कालम सं. 5 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल के V अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	सुश्री अनुभा सैनी	मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	08.11.2012	16.12.2014	17.12.2014
2.	श्री ऐजाज अहमद	निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर	19.10.2012	18.10.2014	19.10.2014
3.	सुश्री सुरभि गोयल	चुनाव आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर	07.01.2013	06.01.2015	07.01.2015

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी.(नियम) 2013-11 दिनांक 28.06.2013 के अनुसार उक्त वर्णित सूचना सहायक का वेतन श्रृंखला (पी.बी. 1) 5200-20200 (ग्रेड पे.न.10) ग्रेड पे 2800 मे वेतन 11170/- (वेतन 8370 + ग्रेड पे.2800) पर नियत किया जाता है।

क्रम संख्या 1 व 6 पर वर्णित सूचना सहायक का वेतन श्रृंखला (पी.बी. 1) 5200-20200 (ग्रेड पे.न. 10) ग्रेड पे 2800 मे वेतन 11170/- (वेतन 8370 + ग्रेड पे.2800) पर नियत किया जाता है। शेष सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जावे।

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2015 होगी।

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सू.प्रौ., जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, (संस्थापन)